ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री1925/2004/दौसा श्रवणलाल बनाम घनश्याम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–

श्री पी0एस0दशोरा, अधिवक्ता अपीलार्थी।

श्री हेमन्त सोगाणी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः08–01–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा 22/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–04–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सं0 8 के पिता नारायण ने एक दावा उप जिला कलक्टर, दौसा के न्यायालय में अधिनियम की धारा 88 एवं 53 का विवादित आराजी बाबत् पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया, जिन्होंने जवाब पेश किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर 22 तनकियात कायम की गई। प्रकरण के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 14 नियम 2 का प्रा0 पत्र पेश कर तनकी सं0 17 जो रेसज्यूडिकेटा से संबंधित थी, पर पहले सुनवाई कर निर्णित करने का निवेदन किया, जिस पर विचारण न्यायालय ने बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12–03–2001 द्वारा वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री1925/2004/दौसा श्रवणलाल बनाम घनश्याम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27-04-2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य तर्क था कि जब वाद एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर तनकियात निर्मित कर दी गई तो न्यायालया का यह विधिक दायित्व था कि वह पक्षकारान से शहादत व सबूत लेकर आदेश 14 नियम 1 जा0दी0 की मंशानुसार सभी तनमिकयात को निर्धारित करते तथा जहां तक आदेश 14 नियम 2 सी0पी0सी0 में वणि्रत विधिक प्रावधानों का संबंध है, तो उक्त संबंध में मोजूदा प्रकरण के तथ्य उक्त विधिक प्रावधानों से पूर्णतया भिन्न है, क्योंकि मोजूदा वाद में जो तनकी सं0 17 प्रांड़ग न्याय के सिद्धांत से संबंधित है वह पूर्णतया विधिक तनकी नहीं होकर एक मिक्स तनकी हैं। अर्थात विधि एवं तथ्यों की, जिसका निर्धारण शहादत के उपरान्त ही किया जा सकता है परन्तु उक्त स्थिति को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय प्रदान किए जो अविधिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उनका तर्क था कि दोनों वादों में पक्षकार भिन्न भिन्न है। उनका तर्क था कि प्रत्यर्थी सं0 1 से 4 के पिता ने जो दावा अपीलार्थी रामकिशोर के खिलाफ किया था वह मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का दावा था, जिसमें मात्र कब्जे को देखा जाता है उसमें अधिकारों का कोई निर्णय नहीं होता। उनका	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री1925/2004/दौसा श्रवणलाल बनाम घनश्याम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यहह भी तर्क था कि तनकी सं0 17 के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए था कि जो पूर्व में दावा किया गया था वह दावा क्या रामकिशोर के ख्लिाफ कर्ता खानदान की हैसियत से किया गया था। पूर्व का दावा रामकिशोर के खिलाफ कर्ता खानदान की हैसियत से कतई नहीं किया गया था। रामकिशोन ने भी अपने जवाबदावे में अपने आपको कर्ता खानदान नहीं बताया था किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस पर ध्यान नहीं देकर मात्र अवधारणा के आधार पर अपने निर्णय व डिक्री प्रदान किए। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री अविधिक है, जिन्हें निरस्त किया जावें। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत एवं अपने निर्णय एवं डिक्री प्रदान किए है तथा उनके निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः द्वितीय अपील अस्वीकार की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा वाद रेसज्यूडिकेटा के बिन्दू पर खारिज किया गया है। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि रेसज्यूडिकेटा संबंधी तनकी का निर्णय प्राथमिक तनकी के रूप में उभय पक्ष को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिए	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री 1925/2004/दौसा श्रवणलाल बनाम घनश्याम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिना किया गया है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत 2015 आर0बी0जे पेज 306, 2010 आर0आर0टी0 (i) पेज 282 के न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धांत स्पष्टतया प्रतिपादित किया गया है कि रेसज्यूडिकेटा का प्रश्न तथ्यों और विधि का मिश्रित प्रश्न है और इसे उभय पक्ष द्वारा पेश की गई साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किया जाना चाहिए। किन्तु वर्तमान द्वितीय अपील में दोनों अधीनस्थ नयायालयों ने उक्त न्यायिक दष्टांतों के विपरीत रेसज्यूडिकेटा के प्रश्न को बिना साक्ष्य के निर्णित किया है, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः हम द्वितीय अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-04-2004 व उप जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-03-2001 निरस्त किए जाते है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेसज्यूडिकेटा के प्रश्न को निर्णित करने हेतु उभय पक्ष को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करें तत्पश्चात् विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (पंकज नरूका) सदस्य (शिखर अग्रवाल) सदस्य	